न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–पीयुष समारिया,आई.ए.एस, जिला कलक्टर नागौर

राजस्व मामला संख्या – 105/2014
जी0सी0एम0एस0 पोर्टल नम्बर – 2014/00051

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) डेगाना		1– गोकुलदास पुत्र मगनीदास (फौत) के कायम मुकाम– 1/1– मदन मोहन (फौत) के कायम मुकाम– 1/1/1–नरेन्द्र प्रसाद पुत्र मदन मोहन का पता सिविल लाईन केसरिया कंवर जी के थान के पास मेड़ता सिटी नागौर 1/1/2–सुशीला पुत्री मदन मोहन पत्नि रामगोपाल का पता ग्राम पोस्ट निम्बोला बिम्बा वाया– पादुकला (थांवला) जिला नागौर 1/1/3–लाली पुत्री मदन मोहन पत्नि इन्द्रराज का पता ग्राम पोस्ट पादु खुर्द वाया पादुकंला जिला नागौर 1/1/4–ममता पुत्री मदन मोहन पत्नि उमेशचन्द का पता सिविल लाईन केसरिया कंवर जी के थान के पास मेड़ता सिटी नागौर 1/1/5–नाथी देवी पुत्री मदन मोहन पत्नि सुशील कुमार का पता ग्राम पोस्ट बाघसुरी वाया नसीराबाद जिला अजमेर 1/2–रामनिवास पुत्र गोकुलदास का पता प्रकाश नगर गली नम्बर 4 फाई सागर रोड़ अजमेर 1/3– श्यामसुन्दर पुत्र गोकुलदास का पता– शिवशक्ति कॉलोनी काली बाई का मंदिर के पीछे फाई सागर रोड़ अजमेर 1/4– भंवरी देवी पुत्री गोकुलदास (फौत) के कायम मुकाम– 1/4/1–अरुणदत्त माता भंवरी देवी पुत्र मंगलदतत्त का पता K 3 क्रिशचन गंज अजमेर 1/4/2–नरेन्द्रदत्त माता भंवरी देवी पुत्र मंगलदतत्त का पता K 3 क्रिशचन गंज अजमेर 1/4/3–प्रेमलता पत्नि महेन्द्र कुमार पता–लाडली पंथ चौमु हाउस–सी–स्कीम जयपुर 1/5– फुला देवी पुत्री गोकुलदास पत्नि नन्दकिशोर का पता ग्राम पोस्ट सिणगारा वाया रुपनगढ जिला अजमेर 1/6– कमला पुत्री गोकुलदास पत्नि राधेश्याम जाति साद (वैष्णव) पता मु.पो. बांसेड़ तहसील परबतसर वाया परबतसर जिला नागौर 1/7– संतोष पुत्री गोकुलदास पत्नि कालुदास का पता ग्राम पोस्ट झिंटिंया वाया रियां बड़ी जिला नागौर 1/8– पुष्पा पुत्री गोकुलदास पत्नि अशोक का पता ग्राम पोस्ट ब्यावर खास (पुरानी) वारब्यावर जिला अजमेर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजपैरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय **दिनांक : 13-07-2023**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थी गोकुलदास के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी गोकुलदास फौत होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके कायममुकामान को रेकर्ड पर लिया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया, जिनके विरूद्ध पत्रावली पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है, जो पत्रावली की आदेशिकाओं पर उपलब्ध है।

कलक्टर नागौर

प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार की एकतरफा बहस सुनी गई। राजपैरोकार ने प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि मौजा आलनियावास खसरा नम्बर 1473/235 रकबा 15.00 बीघा भूमि अप्रार्थी गोकुलदास पुत्र मगनीदास जाति साद निवासी आलनियावास को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत आंवटन हुई थी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 456 ग्राम आलनियावास भरा जाकर गैर खातेदारी दर्ज की गई थी। जो पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण की प्रति से सुस्पष्ट है।

अप्रार्थी को उक्त भूमि वर्ष 1966 में आवंटन हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के उप नियम 14(3) के तहत प्रथम वर्ष में 50% भूभाग को व द्वितीय वर्ष में शेष भाग को जोतना आवश्यक था। अप्रार्थी ने उक्त आधनियम की धारा 14(3) की शतों का पालन नही किया जो खसरा गिरदावरी सम्वत 2064 से 2068 तक की नकलों से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी को आवंटित भूमि काबिल काश्त नहीं है, मौके पर नदी के रूप में है जिस पर काश्त करना मुमकिन नहीं है, जो पूर्व की पटवारी हल्का आलनियावास की रिपोर्ट में सुस्पष्ट है।

हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा उक्त आवंटित भूमि खसरा नम्बर 1473/235 रकबा 15 बीघा के संबंध में वर्तमान कब्जा काश्त के संबंध में मौका रिपोर्ट तथा खसरा गिरदावरियों की नकलें तहसीलदार रियांबड़ी से चाही गई थी, जिसके कम में तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा अपने पत्रांक–744 दिनांक 22.02.2023 के द्वारा खसरा गिरदावरियों की नकलें तथा पटवारी हल्का आलनियावास की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.02.2023 भिजवाई है। उक्त प्राप्त खसरा गिरदावरियों की नकलों के अनुसार संवत् 2032 से 2055 तक एवं संवत 2060 से 2078 उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण की कोई काश्त दर्ज नहीं है। पटवारी हल्का आलनियावास की उक्त रिपोर्ट दिनांक 20.02.2023 के अनुसार ग्राम आलनियावास के खसरा नम्बर 1473/235 रकबा 15 बीघा जो किनये खसरा नम्बर 304 रकबा 98.26 है. में शामिल किया गया है, जिसमें गोकलदास पुत्र मगनीदास जाति साद हि 243/9974 के नाम से हाल जमाबन्दी खाता संख्या 1186 पर दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरे पर प्रार्थी गोकलदास के द्वारा किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं पाया गया एवं उक्त खसरा नम्बर 304 जो लूणी नदी क्षेत्र में बीहड़ घनी झाड़ी में स्थित है तथा प्रार्थी ग्राम आलनियावास में नहीं रहता है। इस प्रकार अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14(3) की शर्तों का पालन नही किया है जिससे कारण अप्रार्थी को दिए गए गैर खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 14(3) के तहत निरस्त करने का निवेदन किया है।

प्रकरण में वकील अप्रार्थी श्री अर्जुनदास द्वारा गोकुलदास के वारिस एवं उत्तराधिकारी नरेन्द्र प्रसाद, सुशीला, लाली, रामनिवास की और से जबाब प्रस्तुत किया गया था एवं उक्त जबाब में कथन किया कि भूमि अप्रार्थी गोकुलदास को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बने नियम 1970 के अन्तर्गत के आवंटन किया गया तथा आवंटन के पश्चात पटवार हल्का आलनियावास ने उक्त भूमि का नामान्तरण संख्या 456 नया खसरा नम्बर 1473/235 रकबा 15 बीघा लगान दर 1.37 पैसे निर्धारित किया गया एवं उसके पश्चात पटवारी हल्का आलनियावास ने मौके पर जाकर भौतिक रूप से नाप किया जाकर उक्त भूमि का कब्जा गोकुलदास अप्रार्थी को सुपुर्द कर दिया था जो कब्जा काश्त लगातार आज तक हम अप्रार्थीगण वारिश एवं उत्तराधिकारीगण गोकुलदास के पास मौजूद है एवं काश्त किया जा रहा है। तत्पश्चात कब्जा सुपुर्द करते ही लगातार अप्रार्थीण गोकुलदास ने मौके पर भौतिक रूप से खसरा नम्बर 1473/235 रकबा 15 बीघा काश्त शुरू कर दी थी तथा वर्ष 2028, 2029,2030 में लगातार मोठ की फसल बोई थी जो अच्छी पैदावार हुई। पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट की है पटवारी भौतिक रूप से मौके पर नही गया एवं पटवार भवन में बैठकर ही गलत रिपोर्ट तैयार की है जो पूर्ण रूप से गलत होने से काबिल खारिज किये जाने के है।

अप्रार्थी गोकुलदास का देहान्त हो गया तथा उसके वारिश एवं पुत्रगण एवं वारिसान मदन मोहन रामनिवास, श्यामसुन्दर, भंवरी देवी, फूल देवी, कमला, सन्तोष, पुष्पा थे जिनमें से मदनमोहन तथा भंवरी देवी का भी देहान्त हो गया तथा उनके वारिश एवं उत्तराधिकारीगण क्रमशः नरेन्द्र प्रसाद, सुशीला, लीला, ममता नाथी देवी व अरूणदत्त, नरेन्द्रदत्त व प्रेमलता वर्तमान में मौजूद है जो अलग अलग रहने तथा अन्य स्थानों

कलक्टर नागौर

में रहने व थोड़ा थोड़ा हिस्सा बंट में आने से पटवारी ने काश्त होना नामुमकिन लिख दिया है जो गलत है। केवल कुछ समय अकाल की वजह से एवं वर्षा समय पर नही होने से काश्त नही की जिससे आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है मौके पर आज भी गोकुलदास के वारिश एवं उत्तराधिकारीगण का मौजूद है।

अप्रार्थीगण को आवंटन की गई भूमि पहाड़ी की तलहटी में आने से ही वर्षा होते ही पहाड़ी का पानी उतरकर नदी व नाले के रूप में आस पास के खेतो का भराव हुए फसल बहाकर ले जाते है तथा ज्यादा वर्षा होने पर नदी ज्यादा उफनती हुई चलती है जिससे नदी के किनारे पर आये खेतो के पास के मोड़दार हिस्सों का काटते हुए बहाकर ले जाती है। कम वर्षा में नदी धीरे चलती है एवं धुमावदार रूप से चलती है जबकि तेजवर्षा में नदी के अधिक वेग से पानी सीधी गति में चलता है जिससे किनारे के खेतो का ज्यादा हिस्सा का कटाव होता है जिससे 31,32,33 के वर्षों में अधिक वर्षा होने से नदी के वेग से इस खेत का काफी भाग कटाव के क्षेत्र में आ गया एवं मिटटी कटाव में बहा गई एवं बोई गई फसल भी पानी के बहाव में बह गई। इस प्रकार आठ–दस वर्षो में इस खेत का अधिकांश भाग की मिटटी बह गई शेष बची हुई जमीन पर अप्रार्थीगण बारी बारी से काश्त करते है तथा पटवारी केवल नदी भरकर गिरदावरी में पड़त जमीन लिख देता है जब कि कभी कभी गिरदावरी में नदी भी लिख देता है जबकि शेष भाग पर आज की काश्त की हुई है तथा नदी के रूप में आने वाले ने वर्ष भी बाजरे की फसल बोई थी जो नदी में बह गई व अप्रार्थीगण को भारी नुकसान हुआ है। परन्तु आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है।

अप्रार्थीगण गोकुलदास के दो जीवित पुत्र व तीसरे के वारिश आज भी बारी बारी से काश्त करते है जिससे आवंटन निरस्त नही किया जावे क्योंकि अप्रार्थीगण भूमिहीन किसान है तथा उनके पास अन्य कोई भूमि भी नही है एक मात्र आजीविका का साधन यह खेत ही है तथा आस पास मीठा पानी होने से खेती के साथ साथ बागवानी भी हो सकती है। कीमति भूमि अप्रार्थीगण के पक्ष में न खारिज कर इसे खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाना न्यायोचित है।

आवंटन भूमि में नदी में जाने वाले भाग का नाप करवाकर उस भूमि के बदले अन्य जगह जो काश्त के काबिल हो अप्रार्थीगण को आवंटन किया जावे तथा जो भाग कटाव से बचा है उसकी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम करवाना ही उचित एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र बाबत रेफरेन्स अपास्त किया जाकर उक्त भूमि का नामान्तरणकरण हम अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी अंकित करवाने का आदेश पारित करावें in the alternatively यदि न्यायालय हाजा उचित समझे तो पटवारी हल्का से मौके से नदी के कटाव में आये क्षेत्र का नाप करवाकर उतने क्षेत्र का आवंटन उचित जगह पर करावें तथा जो जमीन शेष कटावमुक्त है उसकी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में अंकित कराने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में मौजा आलनियावास खसरा नम्बर 1473/235 रकबा 15.00 बीघा भूमि अप्रार्थी गोकुलदास पुत्र मगनीदास जाति साद निवासी आलनियावास आवंटन किये जाने का तथ्य निर्विवादित है। प्रकरण में प्रस्तुत पटवारी आलनियावास की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 12.09.2011 के अनुसार ग्राम आलनियावास के खसरा नम्बर 1473/235 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी 2 की खातेदारी अप्रार्थी श्री गोकुलदास की राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। गिरदावरी संवत 2064 से 2067 की गिरदावरी अनुसार उक्त खसरा में काश्त दर्ज नहीं है। उपस्थित मौतबिरान ने अप्रार्थी गोकुलदास का कब्जा काश्त नहीं होना बताया तथा मौके पर भी अप्रार्थी गोकुलदास का कब्जा काश्त नहीं पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल खसरा गिरदावरी संवत 2064 से 2067 के अवलोकन से उक्त खसरा में काश्त दर्ज नहीं होने की पुष्टि होती है।

हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा उक्त आवंटित भूमि खसरा नम्बर 1473/235 रकबा 15 बीघा के संबंध में वर्तमान कब्जा काश्त के संबंध में मौका रिपोर्ट तथा खसरा गिरदावरियों की नकलें तहसीलदार रियांबड़ी से चाही गई थी, जिसके कम में तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा अपने पत्रांक–744 दिनांक 22.02.2023 के द्वारा खसरा गिरदावरियों की नकलें तथा पटवारी हल्का आलनियावास की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.02.2023 भिजवाई है। उक्त प्राप्त खसरा गिरदावरियों की नकलों के अनुसार संवत् 2032 से 2055 तक एवं संवत 2060 से 2078 उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण की कोई काश्त दर्ज नहीं है। पटवारी हल्का आलनियावास की उक्त रिपोर्ट दिनांक 20.02.2023 के अनुसार ग्राम आलनियावास के खसरा नम्बर 1473/235 रकबा 15 बीघा जो कि नये खसरा नम्बर 304 रकबा 98.26 है. में शामिल किया गया है, जिसमें गोकलदास पुत्र मगनीदास जाति साद हि 243/9974 के नाम से हाल जमाबन्दी खाता संख्या 1186 पर दर्ज रिकार्ड है।

कलक्टर नागौर

उक्त खसरे पर प्रार्थी गोकलदास के द्वारा किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं पाया गया एवं उक्त खसरा नम्बर 304 जो लूणी नदी क्षेत्र में बीहड़ घनी झाड़ी में स्थित है।

प्रकरण में उपर्युक्तानुसार अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब अनुसार अप्रार्थीगण का लगातार कब्जा व काश्त होने का कोई ठोस प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जबाब में किये गये कथन कि आवंटन भूमि में नदी में जाने वाले भाग का नाप करवाकर उस भूमि के बदले अन्य जगह जो काश्त के काबिल हो अप्रार्थीगण को आवंटन किया जावे तथा जो भाग कटाव से बचा है उसकी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम करवाने का निवेदन किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब में किये गये उक्त कथन से भी स्पष्ट है कि आवंटन भूमि में से कुछ भाग नदी में जाता है, इससे यह स्पष्ट है कि आवंटित भूमि काबिल काश्त व कब्जा योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह आवेदन स्वीकार किया जाता है। मौजा आलनियावास खसरा नम्बर 1473/235 रकबा 15.00 बीघा भूमि में अप्रार्थी गोकुलदास पुत्र मगनीदास जाति साद निवासी आलनियावास को हस्तगत प्रकरण में किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार रियांबड़ी को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में उक्त आवंटित भूमि कब्जा प्राप्त कर, राजस्व रिकार्ड में आवंटित भूमि की, उक्त आवंटन से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। निर्णय की प्रति प्रार्थी तहसीलदार डेगाना एवं रियांबड़ी को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर